29/01/26

मजदूरी प्रार्थी द्वारा श्रम के मूल्य तथा अवैध उगाही वसूल किया गया होने पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पश्चात्ताप के कारण काफी परेशान हो चुका है अतः आगे चलाना नहीं चाहते हैं। विड्रा करना चाहते हैं। प्रार्थी/वादी की पहचान करना वादी भी मजदूरी है, शोषण मुक्त की गई। अतः प्रार्थी/वादी के निवेदन पर वाद वादी विड्रा करने के आदेश दिये जाते हैं। नियम प्रोसेस अनुसार हेतु नोट के कर दें।

सहायक अधिकारी श्रम

सहायक श्रम